

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1288]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2019/चैत्र 6, 1941

No. 1288]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2019/CHAITRA 6, 1941

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2019

का.आ. 1450(अ).— कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के दिनांक 13 मार्च, 2019 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 08 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1348(अ) में पृष्ठ 3, पैरा छ.1 पर “राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण” के स्थान पर “राष्ट्रीय कौशल विकास निगम” पढ़ें।

[फा.सं. एमएसडीई-1(5)/2018-एपी(पीएमयू)]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th March, 2019

S.O. 1450(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship number S.O. 1348(E) dated 8th March, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 13th March, 2019 at page 5, at Para G.1 for “National Skill Development Agency” read as “National Skill Development Corporation.”

[F. No. MSDE-1(5)/2018-AP(PMU)]

RAJESH AGRAWAL, Jt. Secy.